

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/बी0सी0/बी0पी0-5522/...

दिनांक:

स्वीकृत,

M/s International Print-O-Pac Ltd.

C-4,5,6,7 & 7A, H.C., Phase-II

Noida

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.12 के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित औद्योगिक भवन निर्माण की प्लॉट संख्या-सी-4,5,6,7 एवं 7ए, हौजरी कॉम्प्लैक्स, फेस-II, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्नामिन् किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दस्तावेज व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र कीच वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

14 आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

भूखण्ड का क्षेत्रफल
अनुमन्य एफ.ए.आर

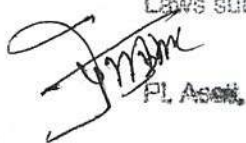
15985.80 वर्ग मीटर
14691.001 वर्ग मीटर

	अनुमन्य	प्रस्तावित	निर्मित
भूतल	8615.40 वर्ग मीटर	5047.215 वर्ग मीटर	3404.55 वर्ग मीटर
प्रथम तल	शेष एफ.ए.आर	-	3163.18 वर्ग मीटर
द्वितीय तल	-	-	-
कुल एफ.ए.आर.	14691.001 वर्ग मीटर	5047.215 वर्ग मीटर	6567.73 वर्ग मीटर
बेसमेंट	8615.40 वर्ग मीटर	5017.77 वर्ग मीटर	3163.18 वर्ग मीटर

सैट बैक

अग्र	9.00 मीटर	12.00 मीटर
पृष्ठ	9.00 मीटर	13.76 मीटर
दांयी तरफ	4.50 मीटर	12.82 मीटर
बांयी तरफ	4.50 मीटर	6.00 मीटर

Map for proposed Building is as per Bye Laws submitted for approval Please.


P.L. Asst.


Asst. Asst.


Asst. Asst.

नाम
पद
नोएडा
वी. ए. देवबुजारी
मुख्य वार्ड निरीक्षक
नोएडा

प्रतिलिपि:

महा प्रबन्धक (.....) को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।